

प्रेषक,

पवन कुमार शुक्ला,  
विशेष न्यायाधीश(भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम)/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
न्यायालय सं0-2  
जनपद मेरठ।

सेवा में.

माननीय महानिबंधक महोदय,  
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

द्वारा

माननीय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,  
मेरठ।

विषय:- शासनादेश संख्या- 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 सपठित शासनादेश संख्या- 20/2024/सा-3-276/दस- 2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत पत्रांक 9691/IV-F-82(Pension)/Admin-IV(I) दिनांकित 16-07-2024 के अनुपालन में पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुने जाने के संबंध में -

महोदय,

सादर निवेदन है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विषयांकित शासनादेश के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिकों, जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो. जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या-सा-3- 379 / दस-2005/301(9)-2003 दिनांकित 28-03-2005 के पूर्व हो चुका था. को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की व्यवस्था व विकल्प प्रदान किया गया है। उपरोक्त विषयक संदर्भ में अति सम्मानपूर्वक निवेदन निम्नवत् है:-

1. यह कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारम्भिक परीक्षा, 2003 के विज्ञापित पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या-ए-2/ई-1/2003, दिनांकित 15-11- 2003 जो दिनांक 22-28 नवम्बर, 2003 के रोजगार समाचार में प्रकाशित हुआ. द्वारा आवेदन आमंत्रित किये गये।
2. यह कि उपरोक्त विज्ञापन के आधार पर प्रार्थी की उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में नियुक्ति, उत्तर प्रदेश शासन, नियुक्ति अनुभाग-4 की विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश संख्या-2430/ दो-4-06-32(1) -2001 टीसी-1 लखनऊ: दिनांक 26-05-2006 के माध्यम से हुई है।
3. यह कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अधिसूचना संख्या-1065/डीआर (एस)/2006 दिनांकित 13-06- 2006 के अनुपालन में प्रार्थी ने दिनांक 15-06-2006 को जनपद न्यायालय रामपुर में अपर सिविल जज, जूनियर डिवीजन, के पद पर कार्यभार ग्रहण किया।
4. यह कि उत्तर प्रदेश शासन के विषयांकित शासनादेश संख्या-14/ 2024/सा- 3- 243/ दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुक्रम में प्रार्थी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने योग्य एवं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने का पात्र है।
5. यह कि प्रार्थी द्वारा शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के साथ संलग्न प्रारूप के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर

पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुना गया है तथा विहित प्रारूप पर पुरानी पेंशन योजना चुने जाने का विकल्प एवं घोषणा पत्र विभागाध्यक्ष की सहमति/संस्तुति के साथ पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किये जाने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र के साथ सादर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः विनम्र अनुरोध है कि प्रार्थी को पुरानी पेंशन योजना में शामिल किये जाने हेतु प्रेषित प्रार्थना पत्र मय विकल्प एवं घोषणा पत्र सहानुभूतिपूर्वक विचारणार्थ माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की महती कृपा करे।

विशेष आभार के साथ।

संलग्नक:- शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024

दिनांक 11 जुलाई, 2024 के साथ संलग्न प्रारूप पर पुरानी पेंशन 2024 के साथ संलग्न प्रारूप पर पुरानी पेंशन योजना चुने जाने का विकल्प व घोषणा पत्र।

दिनांक :27-09-2024

  
27-09-24


पवन कुमार शुक्ला,  
विशेष न्यायाधीश(भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम)/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
न्यायालय सं0-2 जनपद मेरठ।  
आई0डी0-यू0पी0-6286

कार्यालय जिला न्यायाधीश, मेरठ।

पत्रांक- 3061 | I  
सेवा में,

दिनांक- 27.09.2024

श्रीमान् महानिबन्धक महोदय, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अग्रसारित।

  
जिला न्यायाधीश,  
मेरठ।

**जिला न्यायाधीश  
मेरठ**


शासनादेश संख्या- 20 / 2024 / सा-3-276 / दस-2024 / 301(1)2024 दिनांक 11 जुलाई 2024 का संलग्नक

**विकल्प पत्र**

1. नाम : पवन कुमार शुक्ला (यू0पी0 6286)
2. वर्तमान पदनाम : विशेष न्यायाधीश(भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम)/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मेरठ।
3. वेतनमान : रू0 172960 (144840-194660 लेवल जे-5)
4. वर्तमान विभाग का नाम : (न्याय विभाग)
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति  
के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने  
वाले विभाग का नाम : लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6. विज्ञप्ति की तिथि : 15 नवम्बर 2003 (रोजगार समाचार  
22-28 नवम्बर, 2003, विज्ञापन संख्या  
-ए-2/ई-1/2003)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि : 26.05.2006 ( उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति  
अनुभाग-4) सं0 2430/दो-4-06-32(1)/2001  
टीसी-1 एवं माननीय उच्च न्यायालय की  
अधिसूचना दिनांक 13.06.2006
8. योगदान की तिथि : 15.06.2006
9. जन्म तिथि : 04.11.1976
10. सेवानिवृत्ति की तिथि : 30.11.2036

मैं पवन कुमार शुक्ला पुत्र राजेन्द्र कुमार शुक्ला शासनादेश संख्या 14/ 2024/सा-3-243/ दस-  
2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून,2024 के अन्तर्गत **पुरानी पेंशन योजना** में सम्मिलित होने का विकल्प  
देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाये।

हस्ताक्षर


  
27-09-24

नाम - पवन कुमार शुक्ला  
पदनाम - विशेष न्यायाधीश(भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम)/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
न्यायालय सं0-2, जनपद मेरठ।  
आई0डी0- यू0पी0 6286

### घोषणा पत्र

मैं पवन कुमार शुक्ला पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मेरठ यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर



नाम - पवन कुमार शुक्ला  
पदनाम - विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) /  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
न्यायालय सं०-2, जनपद मेरठ।  
आई०डी०- यू०पी० 6286

### सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री पवन कुमार शुक्ला पदनाम विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **पुरानी पेंशन योजना** में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की **संस्तुति/सहमति** प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति  
जनपद न्यायालय, मेरठ।

**जिला न्यायाधीश**  
**मेरठ**